न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 295 / 2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. कुलवीर सिह पुत्र सरजीत सिह जाति जटसिख साकिन कोडयावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) वादी

बनाम

1. गुरमीत कौर पत्नी सरजीत सिह } जाति जटसिख निवासी कोडयावाली
2. वीरपाल कौर पुत्री सरजीत सिह } तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. तहसीलदार संगरिया। प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री एस.एस.खोसा वकील वादी
2— श्री गोविन्द सिह — वकील प्रति सं. 1 ता 2

—: निर्णय :— दिनांक :—06.02.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवम प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पंजिकृत पता वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। वादी के स्वर्गीय पिता सरजीत सि हके नाम से चक 16 ए.एम.पी. खाता संख्या 69 / 9 में 422 / 1687 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी की जामबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी का वादी ने प्रतिवादीगण के साथ घरू विभाजन कर रखा है घंरू विभाजन में चक 16 एएमपी खाता संख्या 69 / 9 स्वर्गीय सरजीत सिह के नाम की समस्त हिस्सा आराजी वादी को प्राप्त हुई है। इसी अनुसार वादी मौका पर शांति पूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। वादी उक्त कब्जा काश्त की आराजी का खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवम दावेदार है। यह कि प्रतिवादी संख्या 2 का अच्छा दान दहेज देकर शादी कर दी है। जो कि खुश है जिसने अपने हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी का कभी भी कब्जा काश्त में नही रही है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी पर वादी का घरू विभाजन के रोज से शांतिपूर्वक निन्तर व लगातार कब्जा काश्त चली आ रही है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है इसी अनुसार वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकार एवम दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादी के हक व हिस्सा कब्जाकाश्त की आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवें तो प्रतिवादीगण ने आजकल आजकलकर टाल मटोल कर दिया। यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 मं वर्णित आराजी चक 16 एएमपी खाता संख्या 69 / 9 में 422 / 1687 हिस्सा सरजीत सिह का नाम विलोपित कर समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कुलवीर सिह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ विरास्तन साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश किये :–

1. चक 16 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 69/9 खाता जितेन्द्र सिह वगेरा प्रदर्श–1
2. सरजीत सिह पुत्र जंग सिह के मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 16 एएमपी के खाता संख्या 69/9 खाता जितेन्द्र सिह वगैरा में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने जमाबन्दी प्रदर्श– 1 एवं सरजीत सि हके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। चक 16 एएमपी खाता संख्या 69/9 ज.स. 2071–74 की जमाबन्दी प्रदर्श– 1 करवाई है एवं सरजीत सिह के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति से वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाब दावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सहमति का जवाब दावा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः– चक 16 एएमपी खाता संख्या 69/9 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में मृतक सरजीत सिह पुत्र जंग सिह के नाम दर्ज 422/1687 हिस्सा कृषि भूमि का वादी कुलवीर सिह पुत्र सरजीत सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक सरजीत सिह का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 295 / 2022

1. कुलवीर सिह पुत्र सरजीत सिह जाति जटसिख साकिन कोडयावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

वादी

बनाम

1. गुरमीत कौर पत्नी सरजीत सिह
2. वीरपाल कौर पुत्री सरजीत सिह
3. तहसीलदार संगरिया।

} जाति जटसिख निवासी कोडयावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री एस.एस.खोसा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गोविन्द सिह वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 16 एएमपी खाता संख्या 69 / 9 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में मृतक सरजीत सिह पुत्र जंग सिह के नाम दर्ज 422 / 1687 हिस्सा कृषि भूमि का वादी कुलवीर सिह पुत्र सरजीत सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक सरजीत सिह का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल....×.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी ....×.... तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 06.02.2023 को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया